न्याया

पॉक्सो (POCSO) गाइड

क्या आप जानते हैं कि 2021 में भारत में 33,503 बच्चों के साथ बलात्कार के मामले सामने आए थे? इनमें से करीब 49% बच्चे 16 से 18 साल की उम्र के थे। बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए ही पॉक्सो कानून बनाया गया है। लेकिन बच्चों की सुरक्षा सिर्फ कानून से नहीं, बल्कि हमारी जागरूकता और सतर्कता से भी जुड़ी है। इसलिए हमें जागरूक रहना होगा और बच्चों की सुरक्षा के लिए मिलकर उनका साथ देना होगा।

पॉक्सो कानून पर यह गाइड सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट, डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी के छात्रों के साथ मिलकर तैयार की गई है।

न्याया

यह गाइड आपकी कैसे मदद कर सकती है?

यह गाइड बच्चों के यौन शोषण के बारे में ज़रूरी जानकारी देती है। इस गाइड का मकसद यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो) से जुड़े कानूनी नियमों के बारे में आपको समझना है।

इसमें बच्चों के यौन शोषण के अलग-अलग प्रकार और अलग-अलग अपराधों के लिए सजा के बारे में भी बताया गया है।

इस गाइड में आपको यह जानकारी भी मिलेगी:

- यौन शोषण की शिकायत कैसे करें
- अदालत में बच्चों के लिए आसान और सुरक्षित प्रक्रियाएँ, जैसे बच्चे का बयान कैसे दर्ज किया जाना चाहिए
- झूठी शिकायत देने पर क्या हो सकता है

न्याया

???

इस गाइड में किन कानूनों पर बात होगी?

इस गाइड में इन कानूनों के बारे में जानकारी दी गई है:

- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015



न्याया

बच्चों का यौन शोषण

इस गाइड में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के तहत बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कानूनी नियमों के बारे में बताया गया है।



न्याया

गाइड यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के तहत बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कानूनी नियमों की जानकारी देती है। पॉक्सो कानून बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है।

न्याया

चेतावनी

आगे दी गई जानकारी में **यौन और शारीरिक हिंसा** से जुड़ी बातें हैं, जो कुछ लोगों को **परेशान या असहज** कर सकती हैं।

न्याया

बच्चे को यौन इरादे से छूना कानून की नज़र में यौन हमला माना जाता है।



अगर कोई व्यक्ति:

- **यौन इरादे से बच्चे के शरीर के किसी भी हिस्से को छूता है,** तो यह यौन हमला माना जा सकता है। इसमें बच्चे की **योनि, लिंग, गुदा या स्तन** को छूना भी शामिल है।
- किसी बच्चे को **खुद के या किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर के यौन अंगों को छूने के लिए मजबूर** करता है, तो यह भी यौन हमला माना जाता है।

इसके लिए 3 से 5 साल तक की जेल से लेकर उम्रकैद तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।

न्याया

बच्चों के यौन शोषण के प्रकार



गैर-शारीरिक यौन शोषण:

- **इशारों, बातों या तस्वीरों/वीडियो के जरिए** बच्चे के साथ यौन व्यवहार करना।
- **बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री** बनाना, उसे शेयर करना, भेजना, प्रकाशित करना या उससे जुड़ी कोई दूसरी गतिविधि करना।

शारीरिक यौन शोषण:

- बच्चे को **गलत यौन तरीके से छूना।**
- बच्चे के शरीर में **लिंग या किसी दूसरी चीज़ को डालना।**





न्याया



यौन संबंध के लिए सहमति

कानून के अनुसार, कोई भी बच्चा यौन संबंध के लिए अपनी सहमति नहीं दे सकता है।

यानी, अगर 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ किसी भी तरह की यौन गतिविधि करता है और बच्चा इसके लिए हाँ भी कह दे, **तब भी इसे बच्चे का यौन शोषण माना जाएगा।**

लड़के और लड़कियों, दोनों के लिए यौन संबंध बनाने की कानूनी उम्र 18 साल है।



अगर **7 साल से ज्यादा उम्र** का कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे का यौन उत्पीड़न या यौन हमला करता है, तो कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ऐसे मामले में **किशोर न्याय कानून, 2015 के तहत कार्रवाई** की जाती है।

अगर बच्चे का यौन शोषण करने वाला व्यक्ति उसके **परिवार का ही कोई सदस्य है,** तो उसे **ज्यादा सख्त सजा** मिल सकती है, क्योंकि उसने बच्चे के भरोसे और अपने अधिकार का गलत फायदा उठाया है।

सजा कितनी होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि अपराध किस तरह का है और कितना गंभीर है।

नीचे बताए गए लोगों के खिलाफ बच्चों के साथ यौन अपराध करने पर कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाती है। इनमें शामिल लोग हैं:

- **सरकारी कर्मचारी,** अगर वे बच्चे के खिलाफ यौन अपराध करते हैं।
- ऐसा व्यक्ति जो बच्चे के भरोसे या **अधिकार की स्थिति** में हो।
- ऐसे लोग जो बच्चे के साथ **गंभीर यौन अपराध** करते हैं, जैसे **बच्चे के साथ सामूहिक बलात्कार।**
- **बार-बार अपराध करने वाले लोग।**
- **स्कूल, धार्मिक या अस्पताल जैसी जगहों** पर काम करने वाले शिक्षक, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, देखभाल करने वाले लोग, कर्मचारी या मैनेजमेंट के लोग, अगर वे बच्चे के साथ यौन अपराध करते हैं।

न्याया

अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो तुरंत **100 नंबर** पर **पुलिस को फोन करें।** कानून के हिसाब से, ब्लैकमेल करना भी यौन उत्पीड़न है।

बच्चे को ब्लैकमेल करना

अगर कोई व्यक्ति बच्चे के साथ यौन शोषण करता है, उसे धमकाता है या बच्चे के साथ हुई किसी यौन गतिविधि की रिकॉर्डिंग करता है, तो उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है।

अगर किसी बच्चे को ब्लैकमेल या यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, तो पुलिस से मदद लें और मामले की शिकायत करें।

ऐसे अपराध के लिए **3 साल तक की जेल और/या जुर्माने** की सजा हो सकती है।



न्याया

बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री (पॉर्नोग्रफी)

अपराध	सजा
• बच्चे का इस्तेमाल अश्लील सामग्री बनाने या किसी **अश्लील काम के लिए करना।**	• **पहली बार अपराध करने पर:** कम से कम 5 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। • **दोबारा अपराध करने पर:** कम से कम 7 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है।
• **बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री** को दिखाने या दूसरों तक पहुँचाने के लिए अपने पास रखना या इकट्ठा करना।	• 3 साल तक की जेल और/या जुर्माना।
• **पैसे कमाने के लिए** बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री अपने पास रखना या इकट्ठा करना।	• **पहली बार अपराध करने पर:** 3 से 5 साल तक की जेल और/या जुर्माना हो सकता है। • **दोबारा अपराध करने पर:** 5 से 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।

कानून ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करता है, जो **किसी भी तरह के मीडिया** जैसे विज्ञापन, इंटरनेट, प्रिंट आदि में बच्चों का इस्तेमाल **यौन संतुष्टि के लिए** करता है।



इसमें शामिल है:

- बच्चे के यौन अंगों को दिखाना या उनकी तस्वीर/वीडियो बनाना।
- बच्चे को असली या नकली यौन गतिविधियों में दिखाना।
- बच्चों को अश्लील या आपत्तिजनक तरीके से दिखाना।

न्याया

अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बच्चे का यौन शोषण करने में मदद करता है, तो उसके साथ क्या होता है?

अगर कोई व्यक्ति बच्चे के यौन शोषण में किसी की मदद करता है, उसे बचाता है या जानबूझकर ऐसा करने के लिए उकसाता है, तो उसे भी वही जेल और जुर्माने की सजा मिल सकती है, जो अपराध करने वाले व्यक्ति को मिलती है।





राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR):

9868235077

चाइल्ड हेल्पलाइन: 1098



ऑनलाइन: https://neper.gov.in/

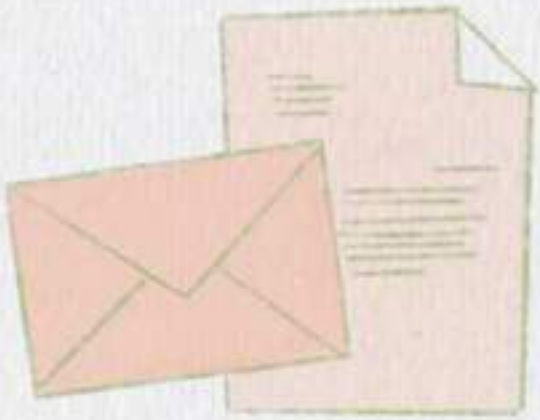
बच्चे के साथ यौन शोषण की शिकायत कैसे करें? NEPCR पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज की जा सकती है।





मोबाइल ऐप : Android (ऐप के जरिए) सीधे शिकायत की जा सकती है।

ईमेल: pocsoebox-ncpcr@gov.in



डाक से: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)
5वीं मंजिल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली–110001, भारत.

न्याया

न्याया

बच्चे का बयान कैसे दर्ज किया जाना चाहिए?

- बच्चे का बयान **महिला पुलिस अधिकारी** को दर्ज करना चाहिए और हो सके, तो वह वर्दी में न हों।
- बच्चे का बयान उसके **घर या ऐसी जगह** पर दर्ज किया जाना चाहिए, जहाँ वह खुद को सहज महसूस करे।
- बयान **बच्चे की अपनी भाषा और उसके बोलने के तरीके** में दर्ज किया जाना चाहिए।
- बयान दर्ज करते समय बच्चे के साथ **उसका भरोसेमंद व्यक्ति** मौजूद होना चाहिए।
- अगर हो सके, तो बयान की **ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग** भी की जानी चाहिए।
- बच्चे या उसके माता-पिता को **बयान की एक कॉपी** मिलनी चाहिए।



न्याया

बच्चे के यौन शोषण की पुलिस में शिकायत करने पर क्या होता है?

अगर आप बच्चे के यौन शोषण की शिकायत करने के लिए पुलिस से संपर्क करते हैं, चाहे **100** पर कॉल करके या पुलिस स्टेशन जाकर, तो शिकायत दर्ज करने के बाद कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाती है।

- पुलिस आपकी शिकायत का **लिखित रिकॉर्ड** तैयार करेगी।
- अगर पुलिस को लगता है कि बच्चे को तुरंत देखभाल और मदद की जरूरत है, तो बच्चे को अस्पताल या शेल्टर होम ले जाया जा सकता है।





क्या आप जानते हैं कि बच्चों के मामलों में अदालत की प्रक्रिया उनके हिसाब से रखी जाती है?

बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों के लिए विशेष अदालतें बनाई गई हैं। इन अदालतों में ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे बच्चा खुद को सुरक्षित और सहज महसूस करे। इन अदालतों में:



- कानूनी प्रक्रिया के दौरान बच्चे के साथ उसके भरोसेमंद और परिचित लोगों को रहने दिया जाता है।
- सुनवाई के दौरान बच्चे को जरूरत के मुताबिक बीच-बीच में ब्रेक दिया जा सकता है।



- बच्चे को आरोपी और दूसरे लोगों के सीधे संपर्क में आने से बचाया जाता है।



- वकील बच्चे से सीधे सवाल नहीं पूछ सकते हैं। वकील अपने सवाल विशेष अदालत के सामने रखता है और अदालत बच्चे से वे सवाल पूछती है।



न्याया

न्याया



सजा

अपराध	सजा
• यौन इरादे से बच्चे के शरीर के किसी भी हिस्से को छूना। इसमें बच्चे की योनि, लिंग, गुदा या स्तन को छूना भी शामिल है। • बच्चे को मजबूर करना कि वह अपने या किसी दूसरे व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन को छुए।	• इस अपराध के लिए 3 साल से लेकर उम्रकैद तक की जेल और साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
• बच्चे के शरीर में लिंग या किसी दूसरी चीज़ को डालना।	• 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की जेल और जुर्माना
• बच्चे को ब्लैकमेल करना	• 3 साल तक की जेल और/या जुर्माना
• किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ झूठी शिकायत या जानकारी देना	• 1 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों
• किसी को अपमानित करने, पैसे ऐंठने, धमकाने, ब्लैकमेल करने या बदनाम करने के इरादे से झूठी शिकायत या जानकारी देना	• 6 महीने तक की जेल या जुर्माना या दोनों



न्याया

झूठी शिकायत या जानकारी देने पर क्या होता है?

अगर कोई व्यक्ति **जानबूझकर किसी के खिलाफ झूठी शिकायत या गलत जानकारी देता है,** तो कानून में इसके लिए सजा के नियम है।

- झूठी शिकायत या जानकारी देने पर **1 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों** हो सकते हैं।
- अगर झूठी शिकायत का मकसद किसी को **बदनाम करना, धमकाना, ब्लैकमेल करना, अपमानित करना या उससे पैसे ऐंठना** है, तो **6 महीने तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।**

कानून से जुड़ी ज्यादा जानकारी और मदद के लिए न्याया की वेबसाइट पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी जानकारी देखें।

न्याय पाने के लिए मदद मांगने या किसी की मदद करने में कभी देर नहीं होती है।

न्याया